आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

धारा–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–06/2020–21

श्रीमती जयन्ती महतो.....आवेदक

बनाम

झारखण्ड सरकार एवं अन्य.....विपक्षी।

आदेश

14.10.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी श्रीमती जयन्ती महतो, पति–श्री सहदेव महतो, ग्राम–अलना जामटोली, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–428 R27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक–18/05/2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा	चौहदी
नेउरी	बुण्डू/0018	11	07	07 डी०	उ०–प्लॉट नं०–6, द०–सीमाना, पू०–प्लॉट नं०–8, प०–सीमाना,
			08	06 डी०	उ०–प्लॉट नं०–6, द०–कुछ अंश प्लॉट नं०–9, कुछ अंश सीमाना, पू०–प्लॉट नं०–4, प०–प्लॉट नं०–7,
			09	2.23 ए०	उ०–प्लॉट नं०–11 और प्लॉट नं०–8, द०–प्लॉट नं०–14 एवं 16, पू०–प्लॉट नं०–13 और प्लॉट नं०–12, प०–कुछ अंश सीमाना और कुछ अंश प्लॉट नं०–17,
			32	70 डी०	उ०–प्लॉट नं०–33 एवं 34द०–सीमाना(मौजा–गुटुहातु) पू०–प्लॉट नं०–नीज (प्लॉट नं०–351), प०–31, 30, 12,
			33	11 डी०	उ०–प्लॉट नं०–46, 31, द०–प्लॉट नं०–32, पू०–प्लॉट नं०–34, 46 प०–प्लॉट नं०–31,

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार उपरोक्त वर्णित भूमि का पूर्व में अंचल अधिकारी, बुण्डू के नामांतरण वाद स०–289 R27/2017-2018 में दिनांक–22.06.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दायर किया गया था, जिसका दाखिल खारिज अपील वाद सं०–41/2018–19 है। उक्त अपील वाद में दिनांक–2.06.2018 को पारित आदेशानुसार अपीलार्थी से सत्यापित प्रति प्राप्त कर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज कर शुद्धि पत्र निर्गत करते हुए लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया था। तदोपरांत अपीलार्थी ने पुनः अंचल कार्यालय, बुण्डू में नामांतरण हेतु आवेदन दिया जिसका नामांतरण मुकदमा सं०–428 R27/2018-2019 में दिनांक–18/05/2019 को इस वजह से अस्वीकृत कर दिया गया कि नामांतरण आवेदन में बँटवारानामा से संबंधित कागजात संलगन नहीं है, जो कि नियम संगत नहीं है। क्योंकि उपरोक्त भूमि अपीलार्थी को देवाशीष कुण्डू वो सुस्मिता कुण्डू दोनों पिता स्व० नगेन्द्र नाथ कुण्डू द्वारा संयुक्त रूप से बेची गयी है, वे अपने अभिभावक के वैध वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं, जो कि कानून की नजर में संयुक्त रूप से बेचने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–428 R27/2018-2019/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के मंतव्यानुसार नामांतरण आवेदन में बँटवारानामा से संबंधित कागजात संलग्न नहीं है, बंटवारानामा प्राप्त होने के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। अतएव इसी आधार पर अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि पूर्व में इस न्यायालय का दाखिल खारिज अपील वाद सं०–41/2018–19 में दिनांक–24/08/2018 को पारित आदेश में निम्न न्यायालय को अपीलार्थी से सत्यापित प्रति प्राप्त कर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज कर शुद्धि पत्र निर्गत करते हुए लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया था। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुने बिना ही नामांतरण वाद अस्वीकृत कर दी गया। अतः अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर प्रदान कर उन्हें सुनते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।